

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 87

बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक्)

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

### 1. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किए:-

1. श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री राकेश सिंघा
4. श्री बलबीर सिंह
5. श्री सतपाल सिंह रायजादा
6. श्री विक्रमादित्य सिंह,
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
8. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्गार व्यक्त किए-

"स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनके निधन पर जो उल्लेख इस माननीय सदन में हुए हैं, मैं भी उनमें अपने आपको शामिल करता हूँ तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके बारे में इस माननीय सदन में जिन माननीय सदस्यों ने शोकोद्गार में भाग लिया, उन्होंने उनके जीवन, विशेषकर राजनीतिक जीवन के बारे में और उनकी समाज के प्रति जो संवेदना थी, उसके बारे में उल्लेख किया है। जल सेना में 8 वर्षों तक सेवाएं देने के उपरांत जब उनकी सेवानिवृत्ति हुई या वहां से वापिस आए तो उन्होंने राजनीति के माध्यम से सेवा करने का ध्येय अपने मन में बनाया और लोगों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आम व्यक्ति की आवाज, आम व्यक्ति की पहचान उस क्षेत्र में बने। इस उद्देश्य से वे राजनीति में आए जिसका परिणाम यह हुआ कि वे दो बार विधायक बने और इस माननीय सदन में उपाध्यक्ष के पद से भी सुशोभित हुए। जैसे कहा गया, वे अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन्ज़ के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन भी रहे। उनका जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। पिछले कल उनकी मृत्यु हुई और आज उनकी अन्त्येष्टी उनके विधान सभा क्षेत्र में, उनके गांव में हो रही है। उनकी मृत्यु 74 वर्ष की उम्र में हुई। उनके शोक-संतप्त परिवार को ईश्वर हिम्मत दें; प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।"

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

## 1. प्रश्नोत्तर

### (I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 3174, 3176, 3177 तथा 3179 से 3181 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या: 3175 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3178 सदस्य के उपस्थिति न होने के

कारण नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या: 3182 से 3213 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

**(II) अतारांकित प्रश्न :**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1185 से 1205 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**श्री राजेन्द्र राणा, सदस्य** ने दिनांक 15.09.2020 को बेनामी भू-सौदों से संबंधित अपनी चर्चा से जुड़े कागजात सभा पटल पर रखे।

**3. कागजात सभा पटल पर**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर(संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017-लुज़ दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 26.12.2017 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 28.09.2017 को प्रकाशित;

- (iv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-17/2017 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2017 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-23/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-28/2017 दिनांक 30.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.09.2017 व 18.01.2019 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.09.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना

संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;

- (x) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-38/2017 दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 27.06.2018 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-1 दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017, 30.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (xiii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-40/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 07.08.2018 को प्रकाशित;

- (xv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-41/2017 दिनांक 29.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;
- (xvi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-34/2017 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2017 व 10.01.2019 को प्रकाशित; और
- (xvii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-43/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2017 को प्रकाशित;
- (2) **श्री विक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-
- (i) हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा-13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-(एन्व सैल)ए(3)-1/2019 दिनांक 11.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.06.2020 को प्रकाशित;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और

प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(ए)1-3/2017 दिनांक 22.05.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2020 को प्रकाशित; और

- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(ए)3-1/2018 दिनांक 28.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.08.2020 को प्रकाशित।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- (1) श्री अनिरुद्ध सिंह, सदस्य ने दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को "अमर उजाला" में प्रकाशित शीर्षक "महंत का कमरा बाहर से बंद कर मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चुराई" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

- (2) श्री राकेश जम्वाल, सदस्य ने दिनांक 03 सितम्बर, 2020 को "मंडी केसरी" में प्रकाशित शीर्षक "बाढ़ में नहीं विकास, किससे लगाएं आस" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य मंत्री द्वारा सत्र के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना महामारी के विषय में लिए गए निर्णय पहले सदन में न बता कर मीडिया में बताने का मामला उठाया।

#### मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने जहां मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए कुछ एक निर्णयों बारे सदन को सूचित किया वहीं उन्होंने प्रदेश में नई परिस्थितियों में कोरोना महामारी के संक्रमण पर नियन्त्रण रखने के बारे में वक्तव्य दिया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने सुझाव दिया कि कोरोना महामारी के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश के बारे में एक लघु पुस्तिका (Pamphlet) प्रकाशित कर इसे विधायकों, पत्रकारों व प्रदेश भर की पंचायतों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री ने इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया।

## 5. विधायी कार्य

### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि " हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

#### प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, व 15 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि " हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9))" को पारित किया जाए।

#### प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) सर्वसम्मति से पारित हुआ।

- (ii) जल शक्ति मंत्री द्वारा (प्राधिकृत) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

#### प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।



श्री जगत सिंह नेगी, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु व श्री राकेश सिंघा ने बिल पर चर्चा की।

**शहरी विकास मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

**श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री** (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" को पारित किया जाए।

**हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) ध्वनिमत से पारित हुआ।**

(01.42 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.45 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.53 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।)

**श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य** ने हिमाचल पर्यटन निगम के कर्मचारियों को मासिक वेतन न मिलने का विषय उठाया।

## 6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **डॉ० राजीव बिन्दल तथा श्री राकेश जम्वाल** द्वारा नियम-130 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव 'नई शिक्षा नीति' पर आगे चर्चा जारी-

**निम्नलिखित ने भी चर्चा में भाग लिया -**

1. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

(03.04 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. कर्नल इन्द्र सिंह

(03.15 बजे अपराह्न श्री रमेश चंद धवाला, सभापति पदासीन हुए)

3. श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष

4. श्री सुरेन्द्र शौरी

(03.30 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

5. श्री बलबीर सिंह
6. श्रीमती कमलेश कुमारी
7. श्री हीरा लाल
8. श्री जीया लाल
9. श्री जवाहर ठाकुर
10. श्री इन्द्र सिंह

(03.40 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की बैठक 04.55 बजे अपराह्न वीरवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।